@shahjahanpurpol

सराहनीय कार्य दिनांक 02.04.2021

एस0ओ0जी0 टीम एवं थाना मदनापुर पुलिस द्वारा सर्राफा व्यवसायियो के साथ धोखाधडी कर नकली/सोने की कम मात्रा के आभूशण असली बताकर, बेचकर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, महिला सहित कुल 04 अभि0गण गिरफ्तार, आभूषण एवं नगदी आदि सामान बरामद।

विगत दिनों से सर्राफा व्यापारियो द्वारा जनपद मे विभिन्न स्थानो पर असली बताकर नकली व सोने की कम मात्रा के आभूशण धोखा देकर उनकी दुकानो पर बेचने की षिकायते पुलिस अधीक्षक, शाह0पुर महोदय से की जा रही थी । पुलिस अधीक्षक शाह0पुर महोदय द्वारा उक्त शिकायतो को गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित थाना प्रभारी एवं एस0ओ0जी0 टीम को उक्त गैंग की गतिविधि का पता लगाकर उसकी शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम मे आज दि0 02.04.2021 को पुलिस अधीक्षक, शाह0पुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर/अपराध के कुशल पर्यवेक्षण में एस0ओ0जी टीम व मदनापुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर थाना मदनापुर क्षेत्रान्तर्गत **बुधवाना रोड मॉ गायत्री मेडिकल स्टोर के पास से महिला सहित कुल 04 अभि0गण को गिरफ्तार किया गया है** जिनके कब्जे से ठगी हेतु रखे गये नकली एवं कम मात्रा मे सोने के आभूषण एवं सुनार के साथ ठगी कर प्राप्त की नगदी आदि सामान बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरणः-

गिर0 किये गये अभि0गणों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि राजीव कुमार उपरोक्त अपने घर से ही आर्डर पर सोने के आभूषण बेचने का कार्य करता है वह नकली अथवा कम मात्रा के सोने वाली ज्वैलरी क्रमशः आगरा व हापुड आदि सर्राफा मंडी से लाकर हम लोगो को देता है उक्त ज्वैलरी को हम लोग काला तेल व मिटटी आदि लगाकर पुरानी कर लेते है उसके बाद अर्जुन व राजवीर सीमा के साथ मोटर साइकिल से दूरस्थ बाजार मे सुनारों की दुकानो पर जाकर अपनी मजबूरी बताकर ज्वैलरी को असली सोने की बताकर बेच देते है या गिरवी रख देते थे । ज्वैलरी गिरवी रखते समय हम लोग दुकान के आस-पास का ही फर्जी नाम व पता बताते थे ताकि सुनार हम पर शक न करे तथा लोकल होने के कारण आसानी से ज्वैलरी को गिरवी रख ले। इस प्रकार जो रूपये प्राप्त होते है उसे हम चारों आपस मे बराबर-बराबर बॉट लेते है। अभि0गण द्वारा जनपद मे मदनापुर एवं जलालाबाद के अतिरिक्त जनपद से बाहर क्रमशः हरिद्वार, जयपुर, पानीपत, कानपुर नगर, शहवायजपुर, कन्नौज एवं इटावा आदि स्थानो में इस तरह की ठगी की घटना करना स्वीकार किया है ।

गिरफ्तार किये गये अभि0गण का नाम/पताः-

1-अर्जुन वर्मा उर्फ षिवम पुत्र तिलक सिंह नि0 मो0 चिलपुरा थाना कोतवाली फरूर्खाबाद जनपद फरूर्खाबाद।

2-राजीव कुमार पुत्र श्री मुन्नालाल नि0 म0न0 3/102 मो0 मो0 सेनापथ थाना कोतवाली फरूर्खाबाद जनपद फरूर्खाबाद।

3-राजवीर उर्फ राजू पुत्र राकेश नि0 मो0 छत्तादल पतराया थाना कोतवाली जनपद फरूर्खाबाद।

4-सीमा वर्मा पत्नी अनुप वर्मा नि0 छत्तादल पतराया थाना कोतवाली जनपद फरूर्खाबाद।

बरामदगीः-

1- 05 अदद अगूठी (पीली धातु वजन करीब 20 ग्राम)

2-01 अदद तार (पीली धातु वजन करीब 45 ग्राम)

3-12,000/रू0 नगद

4- 02 अदद मोबाईल फोन

5- एक मो0सा0 एच0एफ0 डीलक्स

अनावरित किये गये अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 201/21 धारा 420,406 भादवि थाना मदनापुर जिला शाह0पुर।

2- मु0अ0सं0 251/21 धारा 420,406 भादवि थाना जलालाबाद जिला शाह0पुर।

पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री रोहित कुमार, प्रभारी एस0ओ0जी0 शाह0पुर।

2-उ0नि0 श्री छत्रपाल सिंह, थाना मदनापुर।

3-मु0आ0329 राजारामपाल सिंह, मु0आ0388 अमरजीत सिंह, मु0आ0157 उदयवीर सिंह, एस0ओ0जी टीम।

4-का0 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, का0 दिलीप सिंह , का0 अजय कुमार, का0 तौसीम हैदर, का0 प्रभात चैधरी का0 चालक कपिल ठाकुर एस0ओ0जी टीम।

5-का0 1943 कमल, का0 2324 मोहित कुमार, म0का0 चंचल तोमर थाना मदनापुर।

6-का0 संजीव कुमार, का0 अजय कुमार सर्विलान्स टीम शाह0पुरं